कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2013 /11–सी–FP/UP/Road/118819/2021, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 05 ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा आर0एस0 रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा याया खजुरा मार्ग के चैनेज सं0–0.00 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से प्रभावित 14.5603 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 758 पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–2941/मी0क्षे0/33, दिनांक 31.12.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं है। अतः परियोजना में पातन हेने वाले वृक्षों का व्यासवार व वैज्ञानिक नाम सहित सारांश प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
2. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
3. रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–103 से 104 पर संलग्न लीज से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के कारण प्रस्ताव से पृथक करें तथा ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से डिलिट भी करें।
5. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली 8.0003 हे0 गैर वनभूमि का क्षेत्रफल एवं खसरा सं0 गलत फीड किया गया है। अतः सही क्षेत्रफल 8.0003 हे0 एवं खसरा सं0–447कमि फीड करें।
6. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail के क्रमांक–16 से TSP and Special Plantation APO Format को डिलिट करें।
7. तीनों प्रस्तावों के साथ संलग्न पेन ड्राइव में पूर्ण प्रस्ताव की सभी अभिलेखों की अलग–अलग पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड की गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः संशोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल की पेन ड्राइव प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2013 /11–सी–FP/UP/Road/118819/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 3091 /मी0/33 दि0 जनवरी, 06 2022

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरणगत बिन्दु की आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

अग्रेसित

(प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर